न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 02 / 2022 दायर दिनांक 14.01.2022

उनवान

प्रमोद कुमार **बनाम** **सरकार**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांकः 14.01.2022

—:निर्णयः—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहसीलदार कपासन से बाद जांच जरिये पत्र क्रमांक/राजस्व/2021-22/35 दिनांक 12.01.2022 से दिनांक 14.01.2022 को प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी श्री प्रमोद कुमार पिता ओमप्रकाष बारेगामा निवासी कपासन ने प्रषासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प उमण्ड में दिनांक 26.10.2021 को उपस्थित होकर निवेदन किया कि ग्राम कपासन की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 1626 आराजी संख्या 5914 रकबा 1.63 हैक्टेयर, 5915 रकबा 0.45 हैक्टेयर, 5916 रकबा 0.80 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.88 हैक्टे. स्थित है। जिसमें जमाबन्दी सम्वत 2009 से 2012 व 2012 से 2015 में आराजी नम्बर 859/10 रकबा 14 बिघा 5 बिस्वा किस्म मंगरी दर्ज थी। जिसे रोटेशन आधार वर्ष सम्वत 2016 से 2019 में खाता संख्या 1411 में आराजी नम्बर 1582 कुल रकबा 13 बिघा 12 बिस्वा होकर 11 बिघा 7 बिस्वा किस्म मंगरी 2 व 2 बिघा 5 बिस्वा किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 में खाता संख्या 219 में आराजी नम्बर 1582 रकबा 13 बिघा 12 बिस्वा विक्रय नामान्तरकरण संख्या 1797 दिनांक 03/09/1982 से बिकाव होकर शान्तीलाल, कान्तीलाल पिता चुन्नीलाल जाति महाजन, ओमप्रकाश, जगदीशचन्द्र पिता केशवदेव ब्राह्मण के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई। अतः जमाबन्दी संवत् 2009 से 2012 व 2012 से 2015 अनुसार आराजी नम्बर 859/10 की किस्म मंगरी दर्ज थी। जिसके आधार वर्ष सम्वत् 2016 से 2019 में जो संलग्न रिकार्ड अनुसार तत्समय नवीन आराजी नम्बर 1582 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा होकर 11 बीघा 7 बिस्वा किस्म मंगरी 2 व 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड किया गया। आराजी नम्बर 1582 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा से सेटलमेण्ट सम्वत् 2039 में नये आराजी संख्या 5914 रकबा 1.63 है0 किस्म बी.2, 5915 रकबा 0.45 है0 किस्म सड़क, 5916 रकबा 0.80 है0 किस्म बी.2 कुल किता 3 कुल रकबा 2.88 है0 बनाये गये।

चूंकि प्रकरण गत बन्दोबस्त का होने से श्रीमान् के क्षेत्राधिकार का होकर उक्त आराजी संख्या 5915 रकबा 0.45 है0 किस्म सड़क की किस्म परिवर्तन कर मंगरी दर्ज करने की अनुषंषा के साथ प्रेषित की है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। सलंग्न मौका पर्चा अनुसार मौके पर तारामीरा की काश्त की हुई है और लगभग 25-30 वर्षों से किसी प्रकार के सडक व रास्ता मौके पर नहीं है, अतः तहसीलदार कपासन की अनुषंषा स्वीकार की जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन की आराजी संख्या 5915 [illegible]45 है0 की किस्म सड़क से किस्म मंगरी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजस्व रेकार्ड में [illegible] दर[illegible] हेतु तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.08.02 11:28:54 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official